ECONOMIC TIMES HINDI, Delhi, 14.6.2018
Page No. 8, Size:(28.98)cms X (12.33)cms.

'आधार की जगह वर्चुअल ID सर्विस दें फोन कंपनियां'

दूरसंचार विभाग ने पहली जुलाई से वर्चुअल आईडी सिस्टम लागू करने के संबंध में टेलीकॉम ऑपरेटरों को दिया निर्देश

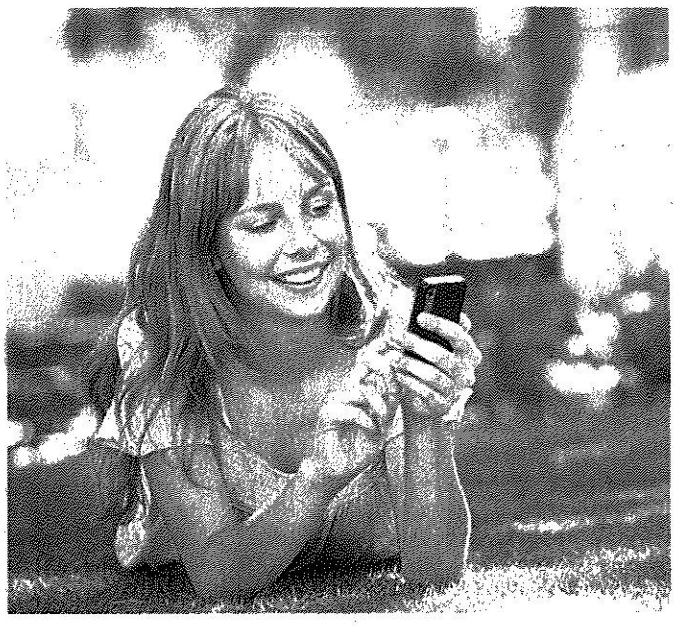

| पीटीआई : नई दिल्ली |

सरकार ने टेलीकॉम ऑपरेटरों को निर्देश दिया है कि वे अपने सिस्टम और नेटवर्क में बदलाव कर आधार नंबर की जगह पर वर्चुअल आईडी के उपयोग की सुविधा दें और मोबाइल सब्सक्राइबर्स के लिए 'लिमिटेड केवाईसी' मैकेनिज्म अपनाएं। पहली जुलाई से वर्चुअल आईडी सिस्टम लागू होना है। यूजर अपने आधार नंबर की जगह वर्चुअल आईडी का उपयोग कर सकेंगे।

वर्चुअल आईडी किसी व्यक्ति के आधार नंबर पर मैप किया गया 16 अंकों की एक संख्या होगी। इसे अगले महीने से पूरी तरह चालू किया जाना है। इसका मकसद आधार डेटा की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को पुख्ता बनाना है।

दूरसंचार विभाग ने एक नोटिफिकेशन में कहा, 'आधार नंबर के विकल्प के रूप में वर्चुअल आईडी के उपयोग, यूआईडी टोकन और लिमिटेड केवाईसी कॉन्सेप्ट के बारे में यूआईडीएआई ने जिन बदलावों का प्रस्ताव किया है, उन्हें सभी लाइसेंसी कंपनियां अपने सिस्टम और नेटवर्क में लागू करेंगी। इसमें नए मोबाइल कनेक्शन जारी करने और मौजूदा मोबाइल सब्सक्राइबर्स के री-वेरिफिकेशन में आधार बेस्ड ई-केवाईसी प्रोसेस की मौजूदा व्यवस्था का पालन किया जाएगा।' उसने कहा कि लाइसेंसी कंपनियों को

- **वर्चुअल आईडी** किसी व्यक्ति के आधार नंबर पर मैप की गई 16 अंकों की एक संख्या होगी, इस सिस्टम को अगले महीने लागू किया जाना है
- **इस सिस्टम** का मकसद आधार डेटा की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को पुख्ता बनाना है
- **दूरसंचार कंपनियों** को अपने डेटाबेस में मौजूदा सब्सक्राइबर्स के आधार नंबरों की जगह यूआईडी टोकन का इंतजाम करने के लिए अपने सिस्टम में बदलाव करना होगा

'सब्सक्राइबर्स को या तो आधार नंबर या वर्चुअल आईडी' के इस्तेमाल का विकल्प देना चाहिए, लेकिन ऑपरेटर्स को इन नंबरों को सेल टर्मिनल पर 'मास्क्ड फॉर्म' में डिसप्ले करना होगा और यह पक्का करना होगा कि इनमें से कोई भी नंबर उनके अपने सिस्टम या डेटाबेस में न रहे।

विभाग ने कहा, 'लाइसेंसी (ऑपरेटर) को नए सब्सक्राइबर या री-वेरिफिकेशन के लिए मौजूदा निर्देशों के अनुसार ई-केवाईसी प्रोसेस का पालन करना होगा। सब्सक्राइबर्स का ऑथेंटिकेशन करने के बाद लाइसेंसी को एक यूनीक आईडी टेकन का उपयोग करना चाहिए ताकि सब्सक्राइबर की यूनीकनेस का पता चले और सब्सक्राइबर के डेटाबेस में दूसरी मदों के साथ इसे स्टोर करना चाहिए।' दूरसंचार कंपनियों को अपने डेटाबेस में मौजूदा सब्सक्राइबर्स के आधार नंबरों की जगह यूआईडी टोकन का इंतजाम करने के लिए अपने सिस्टम में बदलाव करना होगा। विभाग ने सब्सक्राइबर डेटाबेस में शामिल किए जाने वाले विभिन्न पैरामीटर्स में से आधार नंबर को हटा दिया है और इनमें 72 कैरेक्टर वाले यूआईडी टोकन को शामिल कर दिया है।

आधार जारी करने वाली संस्था यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इससे पहले दूरसंचार विभाग को बताया था कि सभी ऑपरेटरों का एक्सेस 'लिमिटेड केवाईसी' तक होगा और ये सर्विस प्रोवाइडर ईकेवाईसी या ऑथेंटिकेशन के अनुरोध भेजते वक्त सब्सक्राइबर का आधार नंबर या वर्चुअल आईडी स्टोर नहीं करेंगे।

सर्कुलर में कहा गया; 'टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स की ओर से आने वाले ईकेवाईसी के सभी अनुरोधों के मामलों में लिमिटेड केवाइसी के तहत यूआईडीएआई नाम, जेंडर, जन्मतिथि और पते के साथ फेस फोटो और यूआईडी टोकन शेयर करेगा। यूआईडीएआई लिमिटेड केवाईसी के तहत इन सर्विस प्रोवाइडर्स को आधार नंबर नहीं देगा।'